नोटिस

SMS Alert के प्रभार की वसूली के लिए नोटिस दिनांक 01.04.2017 से लागू

वर्तमान मे बैंक द्वारा उन सभी ग्राहको को SMS Alert सुविधा प्रदान की जा रही है जिनके मोबाइल नंबर संबन्धित खातों से जुड़े हुए है । वर्तमान मे निम्न संव्यवहारों / इवैंट के लिए बैंक द्वारा SMS भेजे जा रहे है :-

- शाखा स्तर पर किए जाने वाले रुपये 5000 से अधिक के सभी नामे व जमा लेन देन ।
- Alternative Delivery Chanel (ADC) का प्रयोग करते हुए किए जानें वाले सभी लेन देन ।

  (Internet Banking - Baroda RRB Connect, Mobile Banking, ATM, NEFT & RTGS, IMPS etc)
- समाशोधन के लिए प्रस्तुत चेक, पास किया हुआ चेक, क्लेयरिंग से return check आदि ।
- विभिन्न प्रकार की जानकारी से संबन्धित SMS Alerts जैसे ऋण खाते की किस्त देय होने पर, ब्याज दर मे परिवर्तन होने पर आदि ।
- सावधि जमाओ की परिपक्वता व स्वतः नवीनीकरण ।
- Missed Call प्रत्युत्तर मे भेजे जाने वाले SMS Alerts
- विभिन्न विज्ञापन संबन्धित व शिक्षाप्रद SMS Alerts
- खाते मे न्यूनतम शेष बनाए रखने हेतु पूर्व सूचना ।
- रकम से संबन्धित DBT/DBTL संव्यवहार Alerts

उक्त दिनांक से पूर्व बैंक द्वारा सभी ग्राहकों / खाताधारकों को ये सुविधाएं बिना किसी शुल्क व प्रभार के प्रदान की जा रही है।

इस संबंध मे सभी ग्राहको व सामान्य लोगो को यह सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा उक्त SMS सुविधाओ हेतु शुल्क प्रभारित किया जायेगा । जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

- प्रभावी दिनांक - 01.04.2017
- शुल्क - बचत बैंक खाता - रुपये 15 + लागू कर /त्रैमासिक
- शुल्क - चालू खाता / नकद साख / ओवरड्राफ्ट खाता - रुपये 25 + लागू कर /त्रैमासिक

SMS Alert प्रभार की अन्य शर्तें:-

- ये सभी प्रभार (जिन खाताधारको के मोबाइल नंबर बैंक मे दर्ज है) त्रैमासिक आधार पर पूर्व मे ही वसूल किए जायेंगे ।
- निम्न वर्ग के ग्रहकों को SMS Alert प्रभार से मुक्त रखा गया है।
  - ➢ बुनयादी बचत खाता / वित्तीय समावेशन / PMJDY खातो से संबन्धित ग्राहक
  - ➢ सुपर सेविंग / CA प्रीमियम / CA प्रिविलेज ग्राहक
  - ➢ स्टाफ सदस्य (मय भूतपूर्व स्टाफ सदस्य)

SMS Alert सुविधा को समाप्त करवाने हेतु संबन्धित खाताधारक को खाते से संबन्धित आधार शाखा मे लिखित प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा । नए खाताधारकों के खाते से SMS Alert सुविधा के प्रभार स्वतः ही नामे किए जायेंगे, अन्यथा ग्राहक को सुविधा का उपयोग न करने के लिए संबन्धित शाखा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

यदि खाताधारक अगले त्रैमास के शुल्क प्रभारित होने से पूर्व ही इस सुविधा को निरस्त करवा देता है तो अगले त्रैमास से उनके खाते मे प्रभार नामे नहीं किया जायेगा लेकिन वर्तमान त्रैमास के प्रभार खाते से नामे किए जायेंगे । ऐसे खाताधारक केवल उन्ही SMS Alert को प्राप्त कर सकेंगे जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य है नाकि दूसरे लेनदेन / शिक्षाप्रद / जानकारी संबन्धित।